(68)

सरयू राय

झारखण्ड सरकार

मंत्री
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।

पत्रांक - 1786/मंत्री को०
दिनांक - 18/4/18.

माननीय मुख्यमंत्री,

विषय – मंत्रिपरिषद की दिनांक 6.3.2018 की बैठक की कार्यसूची के अन्यान्य मद में तथाकथित निर्णित एवं मंत्रिपरिषद की दिनांक 13 मार्च 2018 की बैठक की कार्यसूची में स्वीकृत दर्शाये गये सेवानिवृत मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा के प्रति राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा व्यक्त आभार पर मेरी असहमति संसूचित करने के संबंध में.

महाशय,

दिनांक 21 मार्च 2018 की मंत्रिपरिषद बैठक में उपर्युक्त विषय को अन्यान्य मद में मेरे द्वारा उठाये जाने पर आप यह आश्वासन देते हुये उठ गये कि इसपर मेरी असहमति दर्ज कर ली जायेगी. पर आपका यह आश्वासन अभी तक मूर्त रुप नहीं ले पाया है. इसलिये इस बारे में अपना निवेदन पुनः स्मारित कर रहा हूँ.

इस बारे में मैंने दिनांक 11 मार्च 2018 को लिखित रूप में उन बिन्दुओं को आपके समक्ष रखा था जो इस विषय पर राज्य मंत्रिपरिषद के तथाकथित उपर्युक्त निर्णय पर मेरी असहमति के कारण हैं. इस पत्र की प्रति मैने मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों तथा राज्य के मुख्य सचिव और कैबिनेट सचिव को भी भेजा था. परंतु अभी तक मेरी इस असहमति को विधिवत संसूचित नहीं किया गया है. मैंने निवेदन किया था कि इस पर मेरी असहमति उन सभी व्यक्तियों को संसूचित की जानी चाहिये जिन्हें निवर्तमान मुख्य सचिव के प्रति मंत्रिपरिषद द्वारा व्यक्त तथाकथित आभार संसूचित किया गया है.

उल्लेखनीय है कि जिन कारणों से मैं इस बारे में अपनी असहमति दर्ज कराना चाहता हूं उसके अतिरिक्त भी कई अन्य कारण हैं. इनमें से एक कारण, जिसकी जानकारी मुझे हाल ही में मिली है, को यहाँ उद्धृत करना चाहता हूं. राज्य प्रशासनिक सेवा के जिन अधिकारियों के नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा मे प्रोन्नति के लिये इस वर्ष भेजे गये थे उनपर केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की 27 मार्च 2018 की बैठक में विचार हुआ जिसमें राज्य के मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त भी उपस्थित थे. इस बैठक में तब हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो गई जब लोक सेवा आयोग की तरफ से बैठक की अध्यक्षता कर रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरीय अधिकारी ने प्रोन्नति के लिये विचारार्थ झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग के एक अधिकारी की चरित्र पुस्तिका में व्याप्त अनियमितता की ओर सभी का ध्यान आकृष्ट कराया.

कार्यालय : झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची। आवास : 1, ए.जी. मोड़ डोरण्डा, राँची।
दूरभाष : 0651–2401023, फैक्स : 0651–2482455, मो. : 9431114460
ई.मेल : saryuroyoffice@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

अनियमितता यह थी कि झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित राज्य प्रशासनिक सेवा के इस अधिकारी के 2014–15 और 2015–16 की चरित्र पुस्तिका पर जिस अधिकारी ने विभागीय सचिव के नाते अभियुक्ति दर्ज किया था, उसीने अभियुक्ति की समीक्षा करने वाले और अभियुक्ति को स्वीकार करने वाले अधिकारी के रुप मे भी उनकी चरित्र पुस्तिका पर हस्ताक्षर कर दिया था. ऐसी अनियमितता करने वाला यह अधिकारी कोई दूसरा नही बल्कि श्रीमती राजबाला वर्मा हैं. आश्चर्य है कि पथ निर्माण विभाग में पदस्थापित इस अधिकारी की चरित्र पुस्तिका में विभागीय सचिव के नाते श्रीमती वर्मा ने उत्तम श्रेणी की अभियुक्ति दर्ज किया जबकि मुख्य सचिव के नाते समीक्षी पदाधिकारी के रुप में इन्होंने औसत श्रेणी की अभियुक्ति इस पदाधिकारी की चरित्र पुस्तिका में दर्ज कर दिया और इसे स्वीकृत भी कर दिया.

कायदे से विभागीय सचिव के नाते इन्होंने जिस अधिकारी की चरित्र पुस्तिका में उत्तम अभियुक्ति लिखा है उसके समीक्षी पदाधिकारी के रुप में तत्कालीन विकास आयुक्त या विकास आयुक्त के सेवा में नहीं रहने की स्थिति में उसकी चरित्र पुस्तिका में तत्कालीन मुख्य सचिव ही जैसा उचित समझें वैसी प्रविष्टि दर्ज कर सकते हैं. चरित्र पुस्तिका की प्रविष्टि को समीक्षोपरांत तत्कालीन मुख्य सचिव स्वीकृति प्रदान करते हैं. उल्लेखनीय है कि जिस अवधि की ये प्रविष्टियाँ हैं उस अवधि में विकास आयुक्त श्री आर एस पोद्दार थे और मुख्य सचिव श्री राजीव गॉबा थे. श्री आर एस पोद्दार ने तो अवकाश ग्रहण कर लिया है परंतु श्री राजीव गॉबा अभी भी सेवारत हैं और सम्प्रति भारत सरकार के गृह मंत्रालय में सचिव हैं. ऐसी स्थिति में श्री पोद्दार और श्री गॉबा के बदले में श्रीमती राजबाला वर्मा द्वारा ही इस अधिकारी की चरित्र पुस्तिका में विभागीय सचिव, विकास आयुक्त और मुख्य सचिव तीनों के स्थान पर खुद ही हस्ताक्षर कर देना सामान्य घटना नहीं है. इनका यह आचरण जालसाजी भले न कहा जाय पर यह जालसाजी जैसा ही है.

इस मामले में विभागीय सचिव के रुप में उत्तम अभियुक्ति और अनाधिकृत मुख्य सचिव के रुप में औसत प्रविष्टि दर्ज करना इनकी नीयत पर संदेह उत्पन्न करने वाला है. कारण कि जिस अधिकारी की चरित्र पुस्तिका में औसत अभियुक्ति दर्ज हो जाती है उसका नाम अगले पाँच वर्षों तक आईएएस में प्रोन्नति के लिये नहीं भेजा सकता है. इस बारे में श्रीमती राजबाला वर्मा से कारण पूछा जाना चाहिये और उनके विरुद्ध विधिसम्मत कारवाई की जानी चाहिये. इस संदर्भ में सरकार द्वारा कारवाई नहीं करने का गलत संदेश जायेगा.

गनीमत है कि केन्द्रीय लोक सेवा की ओर से बैठक की अध्यक्षता कर रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय अधिकारी ने राज्य कैडर के प्रशासनिक सेवा के प्रासंगिक अधिकारी की चरित्र पुस्तिका में पूर्व के वर्षों में अंकित उत्तम प्रविष्टियों के मद्देनजर राजबाला वर्मा द्वारा समीक्षी पदाधिकारी के नाते दर्ज औसत प्रविष्टि को अपने स्तर से अपग्रेड करने का मंतव्य दे दिया. राज्य सेवा के इस प्रशासनिक अधिकारी ने स्वयं भी औसत प्रविष्टि को सुधारने के लिये राज्य सरकार के कार्मिक विभाग में आवेदन कर दिया है.

Scanned with OKEN Scanner

इतना ही नहीं केन्द्रीय लोक सेवा ने गम्भीर निन्दात्मक टिप्पणी के साथ राज्य सरकार द्वारा राज्य सेवा के अधिकारियों को आईएएस में प्रोन्नत करने हेतु भेजी गई पूरी सूची को ही वापस कर दिया है. राज्य की ऐसी लज्जाजनक स्थिति के लिये भी प्रथमतः राज्य की निवर्तमान मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा ही उत्तरदायी हैं. इसके पूर्व तीन वर्षों तक राज्य सेवा के प्रशासनिक अधिकारियों को आईएएस में प्रोन्नति के अवसर से विभिन्न कारणवश वंचित रखने में भी इनकी महती भूमिका रही है.

सवाल है कि क्या दिनांक 11 मार्च 2018 के मेरे पत्र में अंकित तथ्यों और उपरवर्णित अतिरिक्त तथ्य के आलोक में राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा उनकी 35 वर्षों की, विशेषकर मुख्य सचिव रहने की, अवधि में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिये आभार व्यक्त किया जाना उचित कहा जा सकता है? वैसे भी अवकाश ग्रहण करने वाले किसी अधिकारी की सेवा के लिये मंत्रिपरिषद द्वारा आभार प्रकट करना मंत्रिपरिषद की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है. इसीलिये मैंने मंत्रिपरिषद का यह प्रस्ताव निरस्त करने और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यगण द्वारा इस प्रस्ताव पर सहमति देने या मौन साध लेने की स्थिति में इस पर मेरी असहमति दर्ज कराने का निवेदन किया था. यानी आभार प्रकट करने का यह निर्णय मंत्रिपरिषद का सर्वसम्मत निर्णय नहीं है बल्कि इसपर मेरी असहमति एवं आपत्ति है जिसे अंकित किया जाना चाहिये.

उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त विषय में माननीय मुख्यमंत्री एवं अन्य माननीय मंत्रीगण को प्रेषित पत्र को मैंने राज्य के मुख्य सचिव एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव को भी भेजा है. इन्हें चाहिये कि इस बारे में वे अपने वैधानिक दायित्व का पालन करें और अपना समुचित मंतव्य मंत्रिपरिषद के समक्ष उपस्थापित करें. मैं दुहराना चाहता हूँ कि इस विषय में अपनी असहमति स्वीकृत किये जाने और इसे विधिवत संसूचित किये जाने के अपने निर्णय पर दृढ़ हूँ.

मुझे उम्मीद है कि मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यगण भी मेरे इस विचार से सहमत होंगे कि मंत्रिपरिषद के इस निर्णय पर मेरी असहमति दर्ज की जाय. संसदीय लोकतंत्र में असहमति के अधिकार का समादर करने की स्वस्थ परम्परा है. मंत्रिपरिषद के सदस्यगण से मेरा विनम्र आग्रह है कि इस निर्णय पर मेरी असहमति से वे सहमत हों. मेरा यह आग्रह भी है कि इस बारे में 15 दिनों के भीतर मेरी असहमति दर्ज की जाय. ऐसा नहीं होने पर मुझे कारणों सहित अपनी असहमति उन तमाम पदधारियों तक प्रेषित करने के लिये विवश होना पड़ेगा जिन्हें यह तथाकथित आभार राज्य के मंत्रिमंडल समन्वय विभाग द्वारा गैरसरकारी संप्रेषण क्रमांक से जारी पत्र द्वारा संसूचित किया गया है.

सधन्यवाद,

18.5.18

सरयू राय

सेवा में,
श्री रघुवर दास,
माननीय मुख्यमंत्री,
झारखंड सरकार।

Scanned with OKEN Scanner